

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:-मुसप्र/खुली बिक्री/मानसरोवर/2012/1990

दिनांक:-20/11/2011

### कार्यालय-आदेश


आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना में विभिन्न आय वर्गों के अनिस्तारित/अवशिष्ट 121 आवास/फ्लेटों का निस्तारण दिनांक 6.02.2011 से 28.02.2011 तक "जहां है जैसे है" स्थिति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना के भी प्रतिकारपूर्व पंजीकृत आवेदकों को नकद भुगतान पद्धति पर निस्तारण किये जाने की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक प.60/मुसप्र/खुली बिक्री/मानसरोवर/2011/2506 दिनांक 13.01.2011 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

उक्त संदर्भित आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि मण्डल कार्यालय आदेश क्रमांक प.43(93)मुसप्र/खुली बिक्री/नी.निर्णय/2012/3154 दिनांक 16.04.2012 के अनुसार अवशिष्ट आवासों का आवंटन पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी वरीयता एवं वर्ग के अनुसार लॉटरी द्वारा किया जावे।

  
(निरज के. पवन)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/निदेशक विधि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सहायक-मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, रा0आ0म0, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम्/नवम् राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेब साईट पर डालने तथा संबंधित वृत्त/खण्ड कार्यालय को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक